न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(त्व0न्या0) न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।
उपस्थित : श्वेता वर्मा, एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–4317/2019

राशिद उर्फ लम्बू पुत्र इलियास निवासी मोहल्ला सरायकाजी थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

बनाम

राज्य

सत्र वाद सं0–442/2015
अपराध संख्या–814/2014
धारा–302,201 भा0द0सं0
थाना–को0नगर, बुलन्दशहर।

आदेश

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू पुत्र इलियास उपरोक्त के द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के तर्को को सुना गया तथा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

3. प्रार्थी अभियुक्त की ओर से बहस की गई है कि प्रार्थी/अभियुक्त की दादी का देहान्त हो जाने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका और उसके विरूद्ध वारण्ट हो गये। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अपराध गम्भीर है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

5 प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.11.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी /अभियुक्त के उपस्थित न आने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था।

6. अतः सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त के द्वारा एक लाख पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि की दो नयी स्थानीय जमानतनामें व इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि वह नियत तिथियों को उपस्थित आता रहेगा और सत्र वाद के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(श्वेता वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश(त्व0न्या0),
न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर

दिनॉक : 29.11.2019